कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांकः–स्था./2018/ 1050-85 दिनांकः– 21-03-2018

वास्ते:–

श्री

41
21.3.2018

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड –द्वितीय,सयुंक्त प्रतियोगी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

प्रंसगः– प्रशासनिक सुधार (अनु.–03) विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./अनु.–32017 दिनांक 05.03.2018 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 05.03.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यर्थियों में अस्थाई रूप से सफल घोषित लिपिक ग्रेड–II पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है।

अतः सूचीनुसार अभ्यथियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक .... को निर्धारित कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निम्न मूल दस्तावेज के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होवें। संबंधित अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया व भत्ता आदि देय नहीं होगा।

1– कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हों।

2– कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।

3– मूल निवास प्रमाण पत्र।

4– आवेदक का पहचान पत्र।

5–यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ठ खिलाडी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ठ खिलाडी होने का प्रमाण पत्र।

6–यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।

7–विधवा/परित्यक्ता होने संबंधी दस्तावेज ।(विधवा –पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता–परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो।)

8–यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र ।

9–अभ्यर्थी के नाम/उप नाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 1.6.2002 के पश्चात् से अधिक संतान नहीं होने /विधवा,परित्याक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में बचनबद्धता (Undertaking)

10–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग/का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

11– अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात्

ESTT-R 1108

Scanned by CamScanner

अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए ।

12– अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । विवाहित महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है । अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें , तो ही मान्य होगा ।

13– कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र ।

14– समस्त अभ्यर्थी धौलपुर जिले की वेबसाईट पर अपलोड प्रपत्र –'अ' 'ब' 'स' 'द' और 'द' में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना ।

15– प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र ।

16– अधिक जानकारी के लिये यह सूचना धौलपुर जिले की वेबसाईट (dholpur-rajasthan-gov-in) पर उपलब्ध है ।

जिला कलक्टर
धौलपुर

कमांकः– सम/2018/ 1050-85 दिनांक :– 21-03-2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (एसीपी), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कलक्ट्रैट, धौलपुर को उक्त धौलपुर जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner